संख्या– 605 / 661 / स0ना0उ0 / पी0एस0 / (कैम्प) / 2004

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तरांचल,
देहरादून।

नागरिक उड्डयन विभाग देहरादून : दिनांक 24 दिसम्बर , 2004

विषय:- हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के अन्तर्गत वर्तमान ऋषिकेश–डोईवाला मार्ग को परिवर्तित कर नये मोटर मार्ग निर्माण की वित्तीय वर्ष 2004–05 में अतिरिक्त एवं अन्तिम किश्त वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के अन्तर्गत वर्तमान कि0मी0 17–18 में ऋषिकेश–डोईवाला मोटर मार्ग को परिवर्तित कर कि0मी0 16 से कि0मी0 18 में मिलाने के लिए अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश द्वारा प्रस्तुत आगणन रुपये 198.00 लाख (एक करोड़ अठानवे लाख मात्र) के विरुद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रुपये 190.00 लाख (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख मात्र) के आगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या–223 / 661 / स0ना0उ0 / पी0एस0(कैम्प) / 2002 दिनांक 23 मार्च, 2002 द्वारा रू0 1.00 लाख तथा शासनादेश संख्या–415 / 661 / स0ना0उ0 / पी0एस0 / (कैम्प) / 2004 दिनांक 15 सितम्बर, 2004 द्वारा रू0 50.00 लाख इस प्रकार अब तक कुल 51,00,000.00 (रुपये इक्यावन लाख मात्र ) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि के सापेक्ष अवशेष रुपये 139.00.00 लाख (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख मात्र) की धनराशि कथित प्रयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 में अन्तिम किश्त के रूप में आहरण कर व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या – 213 / 61 / बजट / स0ना0उ0 / 2004–2005 दिनांक 19 अप्रैल, 2004 एवम संख्या– 470 / 61 / बजट / स0ना0उ0 / 2004–2005 दिनांक 7 अक्टूबर 2004 द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से ही किया जायेगा ।

2- उक्त धनराशि का आहरण तीन बराबर किश्तों में किया जायेगा और पूर्व स्वीकृत किश्त के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

3- उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्धारित निर्माण इकाई को आवंटित धनराशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित कार्यदायी निर्माण इकाई के सक्षम सम्बन्धित अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–223 / 661 / स0ना0उ0 / पी0एस0(कैम्प) / 2002 दिनांक 23 मार्च, 2002 एवं शासनादेश संख्या– 415 / 661 / स0ना0उ0 / पी0एस0 / (कैम्प) / 2004, दिनांक 15 सितम्बर, 2004 के अनुसार ही होंगी।

5- अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31–3–2006 तक कर लिया जायेगा और धनराशि का पूर्ण उपयोग एवम समायोजन के उपरान्त कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा । यदि इसका उपयोग उक्त अवधि के अन्दर नहीं होता है तो इसे उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

7- कार्य की समयबद्धता एवम गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी / अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- कार्य की मासिक वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय व्ययक के अनुदान संख्या– 24 के लेखा शीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02 विमानपत्तन 800–अन्य व्यय –04–हवाई पट्टी का सुदृढ़ीकरण तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य–00–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 2143 /वि0अनु0–3/2004 दिनांक 24 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( पी0सी0 शर्मा)
सचिव

संख्या– 605 / 861 / स0-वि0उ0 / पी0एस0 / (कैम्प) / 2004, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- जिलाधिकारी, देहरादून।
4- श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, उत्तरांचल शासन ।
5- अधीक्षण अभियन्ता, 24 वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
7- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश ।
8- वित्त अनुभाग–3
9- गार्ड फाईल ।
10- एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून ।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव